फॉर्म नं. आईएनसी – 26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केंद्र सरकार / क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय I के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए), यथासंशोधित के मामले में;

तथा

सनरूट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन: **U40106DL2020PTC363369**), जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय ए – 57, डीडीए शेड्स, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज – II, दिल्ली, भारत, 110020 में स्थित है, के मामले में

.... आवेदक कंपनी

सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "दिल्ली राज्य" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 27 अगस्त, 2026 को अल्प सूचना पर आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) के अंतर्गत आवेदक कंपनी क्षेत्रीय निदेशक को हस्तांतरित शक्तियों के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके ऊपर दिए गए पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रलय के कार्यालय के पते: बी – 2 विंग, 2 तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे:

कृते, सनरूट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता./-

कशिश थरेजा

निदेशक

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 18.09.2026 डीआईएन: **10288365**

फॉर्म नं. आईएनसी – 26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केंद्र सरकार / क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय I के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए), यथासंशोधित के मामले में;

तथा

एम्पलस सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन: **U40108DL2018PTC337594**), जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय ए – 57, डीडीए शेड्स, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज – II, दिल्ली, भारत, 110020 में स्थित है, के मामले में

.... आवेदक कंपनी

सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "दिल्ली राज्य" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 24 अगस्त, 2026 को अल्प सूचना पर आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) के अंतर्गत आवेदक कंपनी क्षेत्रीय निदेशक को हस्तांतरित शक्तियों के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके ऊपर दिए गए पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रलय के कार्यालय के पते: बी – 2 विंग, 2 तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे:

कृते, एम्पलस सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता./-

सचिन बजाज

निदेशक

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 18.09.2026 डीआईएन: **08524188**

फॉर्म नं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

क्षेत्रीय निदेशक (केंद्र सरकार) उत्तरी क्षेत्र, निदेशालय I, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड [a] के मामले में

और

रैबजॉन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 1213, 12वीं मंजिल, टॉवर-4, एसोटेक बिजनेस क्रेस्टेरा, प्लॉट नं. 22, सेक्टर-135, एनईपीजेड पोस्ट ऑफिस, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201305 आईएन में स्थित है

.............याचिकाकर्ता

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यूनिट नं. 1213, 12वीं मंजिल, टॉवर-4, एसोटेक बिजनेस क्रेस्टेरा, प्लॉट नं. 22, सेक्टर-135, एनईपीजेड पोस्ट ऑफिस, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201305 आईएन से बदलकर "उत्तर प्रदेश राज्य में" मकान नं. 163/147, 2री मंजिल, हीवेट रोड, रामबाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211003 आईएन में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए बुधवार, 19 अगस्त 2026 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति टउअ-21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके नीचे दिए गए पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों(14 दिन) के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-1 को उनके पते: बी-2 विंग, 2 रा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे:

यूनिट नं. 1213, 12वीं मंजिल, टॉवर-4, एसोटेक बिजनेस क्रेस्टेरा, प्लॉट नं. 22, सेक्टर-135, एनईपीजेड पोस्ट ऑफिस, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201305 आईएन

कृते एवं के लिए

रैबजॉन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता./-, अभिषेक कुमार त्रिपाठी

(निदेशक) **DIN: 10033855**

स्थान: नोएडा

दिनांक: 17/09/2026

फॉर्म नं. आईएनसी – 26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केंद्र सरकार / क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय I के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए), यथासंशोधित के मामले में;

तथा

एम्पलस आर जे सोलर प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन: **U40106DL2017PTC314694**), जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय ए – 57, डीडीए शेड्स, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज – II, दिल्ली, भारत, 110020 में स्थित है, के मामले में

.... आवेदक कंपनी

सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "दिल्ली राज्य" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 01 सितंबर, 2026 को अल्प सूचना पर आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) के अंतर्गत आवेदक कंपनी क्षेत्रीय निदेशक को हस्तांतरित शक्तियों के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके ऊपर दिए गए पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रलय के कार्यालय के पते: बी – 2 विंग, 2 तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे:

कृते, एम्पलस आर जे सोलर प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता./-

अभिषेक गोयल

निदेशक

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 18.09.2026 डीआईएन: **05325594**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया / Union Bank of India

गुड़गांव-ओल्ड स्टेशन रोड (23731) शाखा, एससीओ-5 जेल लैंड कॉम्प्लेक्स, सोहना चौक के पास, गुरुग्राम, हरियाणा, 122001

संपर्क नंबर: 9324988330

ईमेल आईडी: **UBIN0823732@unionbankofindia.bank.in**

[नियम-8(1)]

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओल्ड स्टेशन रोड, गुड़गांव शाखा, एससीओ-5, जेल लैंड, सोहना चौक, गुड़गांव, हरियाणा पिन 122001 के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवाली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक03-06-2026को जारी कर ऋणधारक श्री सोहन लाल, पुत्र श्री अमर सिंह एवं श्रीमती सुनिता देवी,पत्नी सोहन लाल को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उन्हें मांग सूचना में वर्णित राशि **रु. 10,09,511.29 (केवल दस लाख नौ हजार पांच सौ ग्यारह रुपये और उनतीस पैसे)** वापस लौटने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको को सूचित किया जाता है की आज दिनांक 17सितंबर, 2026 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमवाली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों और आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय रु. 10,09,511.29 (केवल दस लाख नौ हजार पांच सौ ग्यारह रुपये और उनतीस पैसे) की राशि और उस पर देय ब्याज के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है

अचल संपत्ति का विवरण

भूमि और भवन - आवासीय, जिसके स्वामी श्री सोहन लाल (संपत्ति के मालिक) हैं, जो मकान नं. 201, क्षेत्रफल 70 वर्ग गज, खेवट/खाता नं. 558/594, मुस्तकिल नं. 5, किला नं. 6/2, द्रोणा पब्लिक स्कूल के पास, रवि नगर, मौजा कादीपुर, बसई रोड, गुड़गांव, हरियाणा - पिन 122001 पर स्थित है और जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार हैं: पूर्वः 17 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः श्रीमती शकुंतला देवी का प्लॉट,उत्तरः 16 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः अन्य की संपत्ति

दिनांक: 17.09.2026 **प्राधिकृत अधिकारी,**

स्थान:गुड़गांव **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

फॉर्म-ए
सार्वजनिक सूचना

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 के विनियम 6 के अधीन)

सिनर्जीबाइट इंफोटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	सिनेर्जीबाइट इंफोटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के समावेश की तिथि	24.09.2015
3.	प्राधिकारी जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्ति समावेश/पंजीकृत है	आरओसी- हरियाणा
4.	कॉर्पोरेट ऋणी का कॉर्पोरेट पहचान नंबर/सीमित दायित्व पहचान	U72100HR2015PTC056765
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	वीवर्क प्लैटिना टॉवर, एमजी रोड, शिवाजी नगर, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत - 122001
6.	कॉर्पोरेट ऋणी के परिशोधन की शुरुआती तिथि	16.09.2026
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	15.03.2027
8.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के रूप में कार्यरत दिवाला पेशेवर का नाम व पंजीकरण नंबर	पूजा गुप्ता आईबीबीआई पंजी. नं. IBBI/IPA-001/IP-P-02937/2025-2026/14513
9.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर का पता व ई-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	पताः मकान संख्या 1419, पहली मंजिल, सेक्टर 44-बी, चंडीगढ़ 160047 ईमेलः ippoojagupta.chd@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली इमेल तथा पता	पताः डी-253, सातवीं मंजिल, फेज 8ए, सेक्टर 75, औद्योगिक क्षेत्र, मोहाली- 160055, पंजाब ईमेलः cirp.synergybyte@gmail.com
11.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	30.09.2026
12.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर द्वारा निर्धारित धारा 21 की उप-धारा (6ए) के खण्ड (बी) के अधीन ऋणी की श्रेणी, यदि कोई है	लागू नहीं
13.	श्रेणी में ऋणी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में चिह्नित दिवाला पेशेवर के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नही
14.	(क) संबंधित फार्म और (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण पर उपलब्ध हैः	क) https://ibbi.gov.in/home/downloads ख) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच 1 ने 16.09.2026 को सिनेर्जीबाइट इंफोटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की कारपोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया है।

सिनेर्जीबाइट इंफोटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के लेनदार को केवल प्रविष्टि नंबर 10 के अंतर्गत वर्णित पतों पर अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर को 30.09.2026 को या उस से पूर्व अपने दावों को प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के लिए एतद्द्वारा आमंत्रित किया जाता है।

वित्तीय लेनदारो को केवल इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदारो को अपने दावे व्यक्ति, डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर आईबीसी, 2016 के प्रावधानों के अनुसार दंड लगाया जाएगा

हस्ता/-

पूजा गुप्ता,

आईआरपी, सिनेर्जीबाइट इंफोटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में,

आईबीबीआई पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P-02937/2025-2026/14513

एएफए, वैधता तिथिः 30.06.2027

दिनांकः 18.09.2026 पताः डी-253, सातवीं मंजिल, फेज-8ए, सेक्टर 75, औद्योगिक क्षेत्र,

स्थानः चंडीगढ़ मोहाली-160055, पंजाब, ईमेलः cirp.synergybyte@gmail.com

बैंक ऑफ महाराष्ट्र / Bank of Maharashtra

अंचल कार्यालयः बी-192/ए, सेक्टर 52, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उप्र 201301

ईमेल आईडीः recovery_noi@bankofmaharashtra.bank.in

मुख्य कार्यालयः लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे-5

[नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, के अधिकृत अधिकारी हैं, जो कि प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण वित्तीय आस्तियों तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्यरत हैं, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 की उप-धारा (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित दिनांकित डिमांड नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उधारकर्ता तथा गारंटर को नीचे उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया था। यह नोटिस पंजीकृत ए.डी. डाक तथा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था।

उधारकार्त द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित में वर्णित संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा उक्त नियमों के निम 8 के साथ पठित, नीचे उल्लिखित तिथियों पर ले लिया है।

उधारकर्ता विशेष रूप से और सामान्य जनता को एतद् द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वह संपति के साथ कोई लेन-देन न करें, और संपत्तियों के संबंध में किया गया कोई भी लेन-देन उपर्युक्त राशि के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शखा के प्रभार के अधीन होगा। **उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त (रिडीम) करने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।**

क्र. सं.	शाखा / उधारकर्ताओं और गारंटर(ओं) के नाम एवं पता	संपति का विवरण	मांग की तिथि / कब्जे की तिथि	देय राशि
1.	शाखाः हाथरस / **1. श्री राजू सिंह पुत्र श्री शेर सिंह** पताः गढ़उमराव, गढ़ उमराव, हाथरस, यूपी 281302	**मालिक का नामः श्री राजू सिंह** **प्रॉपर्टी का विवरणः मुख्यः** स्टॉक, बुक डेट्स और मशीनरी का हाइपोथेकेशन **कोलेटरल (गिरवी):** आवासीय प्लॉट नंबर 95 (भाग), खसरा नंबर 242 (मौजा रांची बांगर, श्री जी वाटिका के अंदर, तहसील और जिला मथुरा में स्थित, क्षेत्रफल 91.58 वर्ग मीटर) के सभी हिस्सों का इक्विटेबल मॉर्गेज। यह प्रॉपर्टी श्री राजू सिंह के मालिकाना हक में है और इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व – प्लॉट नंबर 96; पश्चिम – प्लॉट नंबर 95 (भाग); उत्तर – बुद्धि की जमीन; दक्षिण – 18 फीट चौड़ी सड़क **CERSAI Asset ID-200076418115**	**23.06.2026** / **16.09.2026**	**रु. 9,29,762.50** (रुपए नौ लाख उन्तीस हजार सात सौ बासठ तथा पैसे पचास मात्र) साथ ही, खाते में अनुबंध की दर से उस पर ब्याज 23.06.2026 तारीख से तथा लागू 2 प्रतिशत की दर से दंड ब्याज और अन्य शुल्क/खर्चे
2.	शाखाः शाहजहाँपुर / **1. मेसर्स रजा बिल्डिंग मटेरियल** प्रोपः श्रीमती सलमा बेगम, पताः 11 बिराहिमपुर, निकट बांदा पूरनपुर रोड तिराहा, बंदा शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर 242042 **2. श्रीमती सलमा बेगम** पत्नी मो. सुलेमान, पताः 11 बिराहिमपुर, निकट बांदा पूरनपुर रोड तिराहा, बांदा तहसील पुवायां जिला शाहजहाँपुर 242042 **3. श्री लालाराम शर्मा,** पता-दलेलपुर जगदीशपुर, बंडा तहसील पुवायां जिला शाहजहाँपुर 242042	**मालिक का नामः 1. श्रीमती सलमा बेगम** **संपत्ति का विवरणः** संपत्ति – गाटा संख्या 123, ग्राम बृह्मपुर झंझरिया, परगना और तहसील पोवायाँ, जिला शाहजहाँपुर में स्थित 210.00 वर्ग मीटर के आवासीय भूखंड (प्लॉट) का इक्विटेबल मॉर्गेज (बंधक); यह संपत्ति श्रीमती सलमा बेगम के स्वामित्व में है और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व :- आराजी डोनर; पश्चिमः- बांदा-पूरनपुर मार्ग; उत्तरः- आराजी अली हसन; दक्षिणः- आराजी जाकिर अली आदि। **CERSAI Asset ID:-200083364120**	**10.07.2026** / **17.09.2026**	**रु. 24,45,108.17** (रुपए चौबीस लाख पैंतालिस हजार एक सौ आठ तथा पैसे सत्तरह मात्र) साथ ही, खाते में अनुबंध की दर से उस पर ब्याज 10.07.2026 तारीख से तथा लागू 2 प्रतिशत की दर से दंड ब्याज और अन्य शुल्क/खर्चे
3.	शाखाः देवरी रोड, आगरा/ **1. आरव टेक्सटाइल** प्रोप श्री अनूप रावत (उधारकर्ता) पताः IX 1639, न्यू पोस्ट ऑफिस रोड, गांधी नगर दिल्ली, पूर्वी दिल्ली डेली 110031 **2. श्री संजय रावत** पुत्र राम खिलाड़ी (गारंटर) पताः शमसाबाद रोड, चौकी ताजनगरी गांव. कहरई, आगरा उ.प्र. 282001 **3. श्री राम दत्त रावत** पुत्र राम खिलाड़ी (गारंटर) पताः मकान नंबर ई 95, 20 फूटा रोड, पश्चिम करावल नगर, उत्तर पूर्व नई दिल्ली 110094 **4. श्री मुकेश रावत** पुत्र राम खिलाड़ी (गारंटर) पता, ग्राम करहई, पोस्ट ताजनगरी, आगरा, उ.प्र. 282001 **5. श्री अबदेश रावत** पुत्र राम खिलाड़ी (गारंटर) पताः ग्राम कराहाई, पोस्ट प्रतापपुरा, आगरा, उ.प्र. 282001	**मालिक का नामः 1.** श्री राम दत्त रावत पुत्र श्री राम खिलाड़ी, **2.** श्री संजय रावत पुत्र श्री राम खिलाड़ी, **3.** श्री मुकेश रावत पुत्र श्री राम खिलाड़ी, **4.** श्री अवधेश रावत पुत्र श्री राम खिलाड़ी **संपत्ति का विवरणः संपत्ति – 1:** खसरा नंबर 17/1, मौजा कहराई, गांव कहराई, शमसाबाद रोड, आगरा, यू. पी. 282001 के एक हिस्से पर बने आवासीय मकान का इक्विटेबल मॉर्गेज (बंधक)। इसका क्षेत्रफल 104.50 वर्ग मीटर है और यह श्री राम दत्त रावत की मिल्कियत है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः प्रकाश की जमीन; पश्चिमः संजय, मुकेश और अन्य की जमीन; उत्तरः 30 फीट चौड़ी सड़क; दक्षिणः प्रकाश की जमीन। **CERSAI ASSET ID : 200104780941** **संपत्ति – 2:** शमशाबाद रोड पर स्थित गाँव कहराई, मौजा केहराई आगरा, यूपी. (पिन कोड 282001) में खसरा नंबर 17/1 के एक हिस्से पर बने रिहायशी मकान का इक्विटेबल मॉर्गेज (बंधक)। इसका क्षेत्रफल 150.40 वर्ग मीटर है और यह श्री अभेश रावत, श्री राम दत्त रावत, श्री मुकेश कुमार और श्री संजय कुमार की मिल्कियत है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- पूर्वः 30 फीट चौड़ी सड़क; पश्चिमः मालिक की संपत्ति; उत्तरः 30 फीट चौड़ी सड़क; दक्षिणः दूसरों की संपत्ति। **CERSAI ASSET ID: 200104775177**	**30.06.2026** / **14.09.2026**	**रु. 23,47,624.89** (रुपए तेईस लाख सैंतालिस हजार छः सौ चौबीस तथा पैसे नवासी मात्र) साथ ही, खाते में अनुबंध की दर से उस पर ब्याज 30.06.2026 तारीख से तथा लागू 2 प्रतिशत की दर से दंड ब्याज और अन्य शुल्क/खर्चे

दिनांकः **18.09.2026,** स्थानः हाथरस, शाहजहाँपुर, देवरी रोड आगरा प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया / Union Bank of India

वैशाली शाखा (08852) ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं. 18, सेक्टर-4 वैशाली, गाज़ियाबाद (उ. प्र.)

[नियम - 8(1)] कब्जा सूचना

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडियावैशाली शाखा (08852) (पताः ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं. 18, सेक्टर-4 वैशाली, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश) के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवाली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक03.06.2026 को जारी कर ऋणधारको/गारंटरोंः श्री सतीश कुमार गुप्ता (ऋणधारक), पताः विला नं. 85, लोटस विला, नोएडा एक्सटेंशन, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जलपुरा गांव, उत्तर प्रदेश-201301; श्रीमती शशिप्रभा गुप्ता (सह-ऋणधारक), पताःके-9 प्रथम तल, शताब्दी एन्क्लेव, सेक्टर-49, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201304; अन्य पताः के-9 प्रथम तल, शताब्दी एन्क्लेव, सेक्टर-49, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201304; अन्य पताः विला नं. 85, लोटस विला, नोएडा एक्सटेंशन, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जलपुरा गांव, उत्तर प्रदेश-201301 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उन्हें मांग सूचना में वर्णित **राशि रु.13,95,860.10/- (केवल तेरह लाख पचानवे हजार आठ सौ साठ रुपये और दस पैसे)** वापस लौटने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको को सूचित किया जाता है की आज दिनांक 15.09.2026 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमवाली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक/भौतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों और आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय 31.05.2026 तक रु 13,95,860.10/- **की राशि और उस पर देय ब्याज के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा।**

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय संपत्ति का वह संपूर्ण भूखंड और हिस्सा जो विला नं. 85, लोटस विला, सेक्टर-01, नोएडा एक्सटेंशन, गांव जलपुरा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301 में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1365 वर्ग फीट है और जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार हैं: पूर्वः विला नंबर 86, पश्चिमः विला नंबर 84, उत्तरः विला नंबर 122, दक्षिणः सड़क

दिनांक: 15.09.2026 **प्राधिकृत अधिकारी,**

स्थान: गौतम बुद्ध नगर **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

अचल संपत्ति की बिक्री सूचना

Karnataka Bank Ltd. Your Family Bank. Across India.

एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच, प्लॉट नंबर 8-बी, फर्स्ट फ्लोर, राजेंद्र पार्क पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

फोनः 011-40591267 (एक्सट-231)

ई-मेलः delhiarm@ktkbank.com

वेबसाइटः www.karnatakabank.com

सीआईएनः L85110KA1924PLC001128

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के साथ पठित।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका भौतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड, सुरक्षित ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा 06.10.2023 को ले लिया गया है, को **"जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर **15.10.2026** को पीएसओडी **खाता संख्या 5497000600013801** के अंतर्गत **रुपये 1,98,47,714.57 [रुपये एक करोड़ अट्ठानवे लाख सैंतालीस हजार सात सौ चौदह और सत्तावन पैसे मात्र]** की वसूली के लिए, 01.07.2024 से भविष्य के ब्याज सहित, साथ ही लागत, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, रोहिणी शाखा, प्लॉट नंबर 6, अग्रवाल सेंट्रल प्लाजा, प्रथम तल कम्युनिटी सेंटर, डीसी चौक, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली, सुरक्षित ऋणदाता को **(1) मेसर्स अन्नपूर्णा एंटरप्राइजेज, अपने प्रोपराइटरः श्री बृजेंद्र सिंह पाल द्वारा प्रतिनिधित्व, ग्राउंड फ्लोर, हाउस नंबर 457, केएच संख्या 347/87, प्रह्लादपुर बांगर दिल्ली- 110042 पर संबोधित (2) श्री बृजेंद्र सिंह पाल पुत्र प्रागी लाल पाल, (3) श्री प्रागी लाल पाल पुत्र हरि प्रसाद पाल, (4) श्रीमती सुमन सिंह पत्नी श्री बृजेंद्र सिंह पाल, सभी संख्या (2) से (4) A2/127, तृतीय तल, सेक्टर 16, रोहिणी, नई दिल्ली- 110085 पर संबोधित, (5) श्रीमती आरती शर्मा पत्नी तरुण, जी-2/126, ब्लॉक-जी, पाकेट-2, सेक्टर 16, रोहिणी, नई दिल्ली 110085 पर संबोधित और (6) मेसर्स शिवम एंटरप्राइजेज , अपने प्रोपराइटर, श्री बृजेंद्र सिंह पाल द्वारा प्रतिनिधित्व,डब्लुबी-131, गणेश नगर- ।|शकरपुर, दिल्ली-110092 पर संबोधित, जो उधारकर्ता/गारंटर/सह-दायित्वकर्ता हैं, से बकाया है, बेची जाएगी।**

अचल संपत्ति का विवरणः

फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति संख्याः127 का वह संपूर्ण भाग और पार्सल, जिसका कवर्ड क्षेत्रफल 407.09 वर्ग फुट या 37.82 वर्ग मीटर है, जो तीसरी मंजिल पर छत/टेरेस अधिकारों सहित, ब्लॉक ए, पॉकेट 2, सेक्टर 16, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 में स्थित है, श्री ब्रिजेंद्र सिंह पाल के स्वामित्व में है। **सीमाएँः पूर्वः** संपत्ति संख्या 128 **पश्चिमः** संपत्ति संख्या 126 **उत्तरः** संपत्ति में प्रवेश हेतु 9 मीटर चौड़ी सड़क **दक्षिणः** 4.5 मीटर चौड़ी सर्विस लेन

आरक्षित मूल्य, वह न्यूनतम मूल्य जिसके नीचे संपत्ति बेची नहीं जा सकतीः रु.34,10,000.00 (रुपये चौंतीस लाख दस हजार मात्र) बयाना राशि जमा/प्रस्तुत की जानी हैः रु.3,41,000.00 (रुपये तीन लाख इकतालीस हजार मात्र)

(उधारकर्ता/बंधककर्ता का ध्यान धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। अधिनियम, सुरक्षित परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में)।

(यह सूचना उधारकर्ता/गारंटर को प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम-2002 के नियम (9) के उपनियम (1) के अंतर्गत सूचना के रूप में भी कार्य करेगा)।

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया कर्नाटक बैंक की वेबसाइट www.karnatakabank.com पर "बंधक रखी गई संपत्ति बिक्री के लिए" शीर्षक के अंतर्गत दिए गए लिंक को देखें।

ई-नीलामी **15.10.2026** को सुबह **11:30** बजे से दोपहर **12:30** बजे तक **https://bankauctions.in/** पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें 5 मिनट का असीमित विस्तार दिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाताओं को ीजजचेरूध्ध्इंदांबजपवदेण्पद/ पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा और निःशुल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। साथ ही, उन्हें ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण (संभावित रूप से 14.10. 2026 को) मेसर्स 4क्लोजर, 605ए, छठी मंजिल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद- 500038, **संपर्क नंबरः 040-23836405, मोबाइलः 8142000809, ईमेलः info@bankauctions.in से प्राप्त करना होगा।**

दिनांकः 17.09.2026 **हस्ता/- कर्नाटक बैंक लिमिटेड के लिए**

स्थानः नई दिल्ली **मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया / Union Bank of India

मीरानपुर शाखा
रामराज रोड, पीएनबी के पास, मीरानपुर, मुजफ्फरनगर यूपी – 251315

[नियम - 8 (1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मीरानपुर शाखा, पता रामराज रोड पीएनबी के पास, मीरानपुर मुजफ्फरनगर उ.प्र. पिनकोड – 251315 के अधिकृत अधिकारी हैं और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 54 वर्ष 2002) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29-06-2026 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें **1.उधारकर्ता 1.) मेसर्स गिल मोटर्स प्रोपराइटर श्री महेंद्र पाल सिंह पता- रामराज रोड यूनियन बैंक बैंक मीरानपुर के सामने तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर यू.पी. 251315 1.b) श्री महेंद्र पाल सिंह, पुत्र श्री अजाब सिंह पता- ग्राम-अहमदवाला पोस्ट-रामराज, तहसील-जानसठ जिला-मुजफ्फरनगर यू.पी. 251315 1.c) श्री अजाब सिंह, पुत्र श्री अर्जुन सिंह (सह-बाध्यकारी) पता- ग्राम- अहमदवाला, पोस्ट रामराज परगना बी.एस. तहसील जानसठ जिला-मुजफ्फरनगर यू.पी. 251315 2. गारंटर 2.a) श्री जगजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय संतोष सिंह पता-ग्राम देवल पोस्ट मीरानपुर तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर यू.पी. 251315 को दिनांक 31-05-2026** तक मांग नोटिस में उल्लिखित राशि **रु. 11,04,247.90. ब्याज एवं अन्य शुल्क (रुपये ग्यारह लाख चार हजार दो सौ सैंतालीस और नब्बे पैसे.+ ब्याज एवं अन्य शुल्क)** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, एतद्द्वारा उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, तारीख 15वीं सितंबर वर्ष 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता सामान्य रूप से एतद्द्वारा सावधान की जाती है कि संपत्ति के साथ कोई लेन-देन न करें और संपत्ति के संबंध में किए गए किसी भी लेन-देन पर **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मीरांपुर शाखा, पता रामराज रोड पीएनबी के पास, मीरांपुर मुजफ्फरनगर यू.पी. पिनकोड-251315 का रु. 11,04,247.90/-** की राशि तथा उस पर ब्याज एवं अन्य प्रभारों का भार रहेगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उधारकर्ता को उपलब्ध समय के संबंध में हैं।

अचल संपत्ति का विवरण

नीचे वर्णित अचल संपत्ति का समतुल्य बंधकः कस्बा मीरानपुर, परगना बी.एस., तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर में स्थित एक दक्षिणमुखी वाणिज्यिक दुकान का संपूर्ण भाग एवं पार्सल, वेक आबादी, (दुकान बस स्टैंड चौराहा से फैज-ए-आम जूनियर हाई स्कूल के बीच में है) जिसका क्षेत्रफल 21.16 वर्ग मीटर है। सीमाएं इस प्रकार हैं:- पूर्वः- दुकान भाग सिंह पश्चिमः- दुकान मनीष कुमार, उत्तरः- विजेंद्र का मकान दक्षिणः- मीरानपुर-मवाना रोड

दिनांकः 15.09.2026 **प्राधिकृत अधिकारी,**

स्थानः- मुजफ्फरनगर **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक / Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking) Where service is a way of life

शाखा : एम-18, कालकाजी (डी-0948) एम-18, कालका जी मेन रोड, नई दिल्ली-110019

फोनः 011-26238803, 26238799, ई-मेलः d0948@psb.bank.in

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना।

दिनांकः 20-05-2026

सेवा में

कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर

1. श्री प्रेम पाल, पुत्र श्री टुकी राम, मकान नंबर 92, एमडी अपार्टमेंट एसोसिएशन, गली नंबर 1, डीपीएस स्कूल, शांति कुंज, भोंडसी (168), पोस्ट ऑफिसः भोंडसी, जिलाः गुरुग्राम, हरियाणा 122102
2. श्रीमती बेबी, पत्नी श्री प्रेम पाल, मकान नंबर 92, एमडी अपार्टमेंट एसोसिएशन, गली नंबर 1, भोंडसी, गुरुग्राम, हरियाणा 122102

विषय : वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना।

प्रिय महोदय/महोदया,

3. कि आप, सम्बोधिती क्रमांक 1 श्री प्रेम पाल पुत्र टुकी राम और सम्बोधिती क्रमांक 2 श्रीमती बेबी पत्नी प्रेमपाल ने बैंक से पीएसबी ई-अपना वाहन ऋण की वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया और अनुरोध पर बैंक ने खाता सं. 09481200000838 के माध्यम से रु. 19,83,000.00/- (रुपये उन्नीस लाख तिरासी हजार मात्र) के लिए ऋण मंजूर किया।
4. कि आप (सम्बोधिती नंबर 1 और सम्बोधिती नंबर 2) ने ऊपर बताई गई सुविधाओं के लिए 02-08-2025 को डिजिटल रूप से कई ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और उस समय 8.15% सालाना की दर से ब्याज (मासिक आधार पर गणना और समय-समय पर बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार) चुकाने पर भी सहमति व्यक्त की।
5. कि आप सम्बोधिती नंबर 1 और नंबर 2 ने, सम्बोधिती नंबर 1 और नंबर 2 को दी गई ऋण सुविधाओं के बदले ऊपर बताई गई सुविधाओं के संबंध में बैंक का बकाया प्रतिभूत करने के लिए हुंडई क्रेटा एसएक्सओ (रजिस्ट्रेशन नंबर HR98X7917) पर दृष्टिबंधक सृजित किया।

बंधक संपत्ति का विवरण निम्नानुसार हैः

(ए) बंधककर्ता का नामः श्री प्रेम पाल पुत्र टुकी राम

(बी) गिरवी लेने वाला वालाः पंजाब और सिंध बैंक

(सी) प्रतिभूत राशि (पीएसबी ई-अपना वाहन ऋण के लिए): रु. 19,83,000.00/- (रुपये उन्नीस लाख तिरासी हजार मात्र)

(डी) ब्याज दरः 8.15% प्रति वर्ष

(ई) दृष्टिबंधक संपत्ति का विवरणः हुंडई क्रेटा एसएक्सओ (रजिस्ट्रेशन नंबर HR98X7917)

(एच) देय वर्तमान राशिः रु. 21,26,042.00 तिथि 20.05.2026 तक

8. यह कि आपने स्वीकृति और ऋण दस्तावेजों की शर्तों में चूक के मामले में मासिक/तिमाही रेस्ट्स के साथ सामान्य सहमत ब्याज दर के अलावा 3% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की।
9. आपने बैंक की बकाया राशि का भुगतान करने में चूक की है और आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आपके खातों को 02.12.2025 को एनपीए के तौर पर वर्गीकृत किया गया है।
10. कि मेरा बैंक नियमित खाता बही रखता है और अब मेरे खाते में खाता रु. 21,26,042 (रुपये इक्कीस लाख छब्बीस हजार बयालीस मात्र) तथा 30.04.2026 तक ब्याज उपरोक्त ऋण खाते में कानूनी रूप से देय हैं और आप ऊपर बताए गए सम्बोधिती सं. 1 से 2 से वसूल किए जाने योग्य हैं और आप सभी संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान ब्याज लागत और अन्य सामान्य बैंक शुल्कों के साथ पूर्ण भुगतान की तिथि तक बैंक को करने के लिए उत्तरदायी हैं।
11. कि ब्याज की दर बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर बदलती रहती है और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार खाता संख्या 09481200000838 में ब्याज की वर्तमान दर 7.90% प्रति वर्ष है, जिसमें मासिक रेस्ट्स शामिल है।

इसलिए, इस नोटिस के आधार पर, मैं आप सभी से यानी सम्बोधिती क्रमांक 1 से 2 से संयुक्त रूप से और अलग-अलग बिन्दु संख्या 10 में ऊपर वर्णित विवरण के अनुसार 30-04-2026 से ब्याज और मासिक रेस्ट्स सहित राशि का, इस नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर बैंक को पूरी देनदारियों का भुगतान और निर्वहन करने का आह्वान करता हूं, जिसमें विफल रहने पर बैंक को उपरोक्त प्रतिभूत बकाया की वसूली के लिए सरफैसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत उपाय करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और उस स्थिति में आप संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उससे उत्पन्न होने वाली सभी लागतों और अन्य खर्चों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

कृपया ध्यान दें कि इस नोटिस की प्रति हमारे कार्यालय में सुरक्षित रखी गई है।

भवदीय

(प्राधिकृत अधिकारी)

बैंक ऑफ इंडिया / Bank of India BOI

गाजियाबाद जोन, बी-32, सेक्टर 62, नोएडा-201307

फोन : 0120-240135

ई-मेल- **Ghaziabad.Ard@bankofindia.bank.in**

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना
परिशिष्ट-IV-A
नियम 8(6) के प्रावधानों के तहत

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) एवं नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और जमानती(यों) को नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, उसकी बिक्री दिनांक 09.10.2026 (समय 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे) को "जहाँ है जैसा है", "जो है यही है" एवं "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी।

ईएमडी/दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 08.10.2026 (4.00 बजे अप. तक) है। इच्छुक खरीदार को अपना नाम **https://www.baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration** पोर्टल पर पंजीकृत करवाना होगा और ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी ऑनलाइन जमा करवाना होगा।

बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है: वसूल की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

क्र. सं.	शाखा का नाम तथा खाता/कर्जदार का नाम	सम्पत्ति के स्वामी तथा सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि (प्रतिभूत ऋण) कब्जे की तिथि तथा प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि तथा समय	अधिकृत प्राधिकारी का नाम तथा मोबाइल नं./बीएम जिससे बोलीदाता संपर्क करें
1.	बैंक ऑफ इंडिया - बुलन्दशहर शाखा खाता - i) श्री खुशी मोहम्मद पुत्र स्व. इस्लामुद्दीन पता 1 : खसरा नं. 496 मिन, ग्राम-चामरी दिल्ली रोड के भीतर, सामने पवन टेलीकॉम हापुड़, उ.प्र.-245101, पता 2 : 190, दिल्ली रोड, चामरी, हापुड़, उ.प्र.-245101 श्री नफीस अली पुत्र फकरुद्दीन पता : मकान नं. 183, ग्राम-चामरी हापुड़, उ.प्र.-245101	सम्पतित : सम्पत्ति खसरा नं. 496 मिन का भाग, ग्राम-चामरी, दिल्ली रोड के भीतर, सामने पवन टेलीकॉम, हापुड़, उ.प्र. का समस्त भाग, माप 80.00 वर्ग गज (66.912 वर्ग मीटर), श्री खुशी मोहम्मद पुत्र इस्लामुद्दीन के नाम पर सीमा : उत्तर : तालाब की भूमि, दक्षिण : रास्ता 15 फीट चौड़ा, पूर्व : हनीफ का घर, पश्चिम : युसुफ का घर	रु. 11,44,545.78 + **ब्याज सीज होने की तिथि से ब्याज (उसके बाद जमा की गई राशि घटाकर) सांकेतिक कब्जा**	रु. 22.61 लाख / रु. 2,26,100/- / रु. 0.23 लाख	09.10.2026 11 बजे पूर्वा. से 5 बजे अप.	श्रीमती रिचा सिंह

नियम एवं शर्तें: 1. यह नीलामी बिक्री/बोली वेबसाईट https://baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration के द्वारा "ऑन लाइन बोली प्रक्रिया" के माध्यम से होगी। 2. ई-नीलामी की तिथि और समय 09.10.2026 (10.00 पूर्वाह्न से 05.00 अपराह्न तक, 10 मिनट के ऑटो-एक्सटेंशन के साथ) है। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 08.10.2026 है। 3. नीलामी बैंक की वेबसाइट पर उल्लिखित आरक्षित मूल्य और पहले वृद्धि मूल्य पर शुरू होगी। बोलीदाताओं को संपत्ति के लिए उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गुणकों/वृद्धि मूल्य में एक साथ अपने प्रस्तावों में सुधार करना होगा। संपत्तियां आरक्षित मूल्य और पहले वृद्धि मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएंगी। 4. इच्छुक बोलीदाताओं को www.baanknet.com पोर्टल पर अपना नाम पंजीकृत करवाना होगा और ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन ईएमडी जमा करना होगा और उसके बाद उन्हें उक्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। क्रेता वेबसाइट पर अपने केवाईसी दस्तावेज, फोन नंबर और ईमेल आईडी जमा करेंगे। 5. संपत्ति सभी मौजूदा या भावी ऋणभार (यदि कोई हो) के साथ बेची जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी संपत्तियों पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार/दावे या बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 6. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। इच्छुक बोलीदाताओं को संपत्ति के भार/स्वामित्व, वैधानिक दायित्व/कर दायित्व/संपत्ति कर के बकाया आदि के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। **www.baanknet.com** वेबसाइट पर लॉग इन करके संपत्तियों को देखा जा सकता है। संपत्ति के भौतिक निरीक्षण के लिए बैंकिंग कार्य घंटों के दौरान अधिकृत अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। 7. सफल बोलीदाता/क्रेता को संपत्ति की खरीद पर देय बिक्री मूल्य के 1% की दर से टीडीएस सहित सभी करों का भुगतान करना होगा (यदि बिक्री मूल्य 50 लाख रुपये या उससे अधिक है) और ऑनलाइन बिक्री के संचालन के लिए सेवा प्रदाता को देय करों का भुगतान करना होगा। साथ ही बिक्री प्रमाण पत्र के निष्पादन के लिए देय शुल्क जैसे स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान भी सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा। 8. असफल बोलीदाता ईएमडी की वापसी के लिए ई-बिक्रे/बैंकनेट से स्वयं संपर्क करेगा। अधिकृत अधिकारी ईएमडी की वापसी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। 9. अधिकृत अधिकारी/बैंक उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उन्हें किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/स्थगित/रद्द करने या किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए नीलामी की कार्यवाही से वापस लेने का पूर्ण अधिकार है। 10. बिक्री प्रमाण-पत्र केवल क्रेता/आवेदक के नाम पर जारी किया जाएगा तथा किसी अन्य नाम पर जारी नहीं किया जाएगा। 11. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखी जाएगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। सफल बोलीदाताओं को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद/अगले कार्य दिवसों के अंत से पहले पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित बिक्री मूल्य का 25% तथा बिक्री मूल्य का शेष भाग बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा। नीलामी बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है। सफल बोलीदाताओं द्वारा राशि जमा करने में चूक करने पर पहले से जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से नीलाम किया जाएगा तथा चूककर्ता बोलीदाताओं का संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता जो वेबसाइट पर पंजीकृत होना चाहते हैं और ईएमडी जमा करना चाहते हैं और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता रखते हैं, वे ग्राहक सेवा से 8291220220 या support.baanknet@psballiance.com पर संपर्क कर सकते हैं और किसी भी संपत्ति से संबंधित प्रश्न के लिए अधिकृत अधिकारियों से उनके संबंधित फोन नंबर पर या गाजियाबाद जोनल कार्यालय में 0120-240135 पर संपर्क कर सकते हैं। बिक्री अधिकृत अधिकारियों द्वारा वेबसाइट https://www.baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration में दिए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

नोट : सभी इच्छुक बोलीदाता एओ/शाखा से संपर्क करके, केवल कामकाज के घंटों के दौरान 05.10.2026 से 07.10.2026 तक सम्पत्तिऔर उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं या साइट पर जा सकते हैं। बताई गई तिथि से पहले या उसके बाद साइट विज़िट के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया https://www.bankofindia.co.in पर दिए गए लिंक को देखें।

तिथिः 17.09.2026, स्थानः गाज़ियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया